# प्रेस नोट दिनांक 15.06.2025

## थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

**थाना अलीनगर पुलिस द्वारा 25,000/- रुपये के इनामिया गैगेस्टर एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन व राजीव सिसौदिया क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मु.अ.सं. 180/2025 धारा 3(1) उ.प्र.गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित 25,000/- रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त अब्दुल मुख्तार पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम कसाई महाल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को पंचफेड़वा अन्डरपास के पास से दिनांक 15.06.2025 को समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–**

अब्दुल मुख्तार पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम कसाई महाल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

**आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण –**

अब्दुल मुख्तार पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम कसाई महाल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
1-मु.अ.स.-196/2020 धारा 323/325/504/506 भादवि व 3(1)(द)(ध) SC/ST Act थानाअलीनगर जनपद चन्दौली।
2-मु.अ.स.-349/2024 धारा 3/5A/5B/8 गो0निवा0अधि0 व 11 पशु क्रू0निवा0अधि0 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
3-मु.अ.स.-180/2025 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

**गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान –**

दिनांक – 15.06.2025
समय - 09.50 बजे
स्थान – पंचपेड़वा अण्डरपास के पास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

**गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-**

निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
उ0नि0 विरेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
का0 चन्दन कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।